समाहरणालय, दरभंगा
(कल्याण प्रशाखा)

अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण

दरभंगा जिला अन्तर्गत संचालित अनुसूचित जाति बालिका उच्च विद्यालय एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या +2 आवासीय उच्च विद्यालयों में वर्ष 2016–17 के लिए छात्रावासी छात्राओं हेतु पोशाक/पठन–पाठन सामग्री/सांस्कृतिक कार्यक्रम/बर्त्तन/बेड शीट/मच्छरदानी/कम्बल/डेक्स–बेंच/बिछावन/गद्दा आदि सामग्रियों की आपूर्ति हेतु इस कार्यालय के ज्ञापांक–1690/जि०क०, दिनांक–23.11.2016 द्वारा निविदा आमंत्रित की गई थी। दिनांक 31.01.2017 को क्रय समिति की बैठक में प्राप्त निविदाओं में तकनीकि शर्त्ते पूरी नहीं होने के कारण अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। अतएव इच्छुक आपूर्त्तिकर्त्ता/विक्रेता/निर्माता से दिनांक 23/2/17 के 12:30 बजे अपराह्न तक **Double-bid-system** के अन्तर्गत पुनर्निविदा आमंत्रित की जाती है। इन सामग्रियों की सूची विशिष्टियों के साथ संलग्न है। निविदादाता आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों की सूची, निविदा की शर्त एवं निविदा प्रपत्र जिला कल्याण कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। निविदा की शर्ते एवं अन्य विवरण जिले की **website.www.darbhanga.bih.nic.in** एवं जिला कल्याण कार्यालय, दरभंगा के सूचना पट्ट पर देखी जा सकती है।

प्राप्त सभी निविदाओं को निविदादाता/उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष दिनांक–23/2/17 को 2:30 बजे उप विकास आयुक्त, दरभंगा–सह–अध्यक्ष क्रय समिति के समक्ष खोल कर निर्णय लिया जायेगा।

उप विकास आयुक्त,
दरभंगा।

पत्रांकः–488/जि0क0, दिनांकः–9-2-2017/

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को निविदा की सी0डी0 एवं पाँच प्रतियों के साथ प्रेषित। अनुरोध है कि निविदा को प्रचलित समाचार पत्रों में यथाशीघ्र प्रकाशित कराने की कृपा किया जाय।

प्रतिलिपिः– आई0टी0प्रबंधक, दरभंगा को निविदा की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं निर्देश है कि निविदा की प्रति जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, दरभंगा को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः– सरकार के सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

उप विकास आयुक्त,
दरभंगा।

समाहरणालय, दरभंगा

(कल्याण प्रशाखा)

दरभंगा जिला अंतर्गत संचालित अनुसूचित जाति बालिका आवासीय उच्च विद्यालय एवं अन्य पिछड़ा वर्ग +2 आवासीय उच्च विद्यालयों में विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति के लिए निविदा की शर्ते :–

दरभंगा जिला अंतर्गत संचालित अनुसूचित जाति बालिका आवासीय उच्च विद्यालय एवं अन्य पिछड़ा वर्ग +2 कन्या आवासीय विद्यालयों में पोशाक, खेल–कूद, पठन–पाठन सामग्री इत्यादि की आपूर्ति हेतु निविदा **double-bid system** के अन्तर्गत दिनांक...23/2/17... के 12:30 बजे ...अपराह्न... तक जिला कल्याण कार्यालय, दरभंगा में मुहरबंद लिफाफा में निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर, एवं हाथोहाथ के माध्यम से निम्नांकित शर्त्तों के अनुसार प्राप्त किया जायेगा।

निविदा की शर्त्तें :–

1. निविदा दो अलग–अलग लिफाफा क्रमशः तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के रूप में एक साथ प्राप्त किया जायेगा।
2. प्राप्त निविदाओं में सर्वप्रथम तकनीकि निविदा क्रयसमिति के समक्ष खोली जायेगी एवं जिनका तकनीकी निविदा सही पाये जायेंगे, उन्हीं का वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा।
3. तकनीकी निविदा के लिफाफा में निम्न कागजात रखा जाना अनिवार्य होगा।
   (क). अग्रधन के रूप में 20,000.00 (बीस हजार) रूपये का डी०डी०, जिला कल्याण पदाधिकारी, दरभंगा के पदनाम से दरभंगा में भुगतेय होगा।
   (ख). निविदादाता को वैट रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करना होगा एवं वैट चुकता प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य होगा।
   (ग). निविदादाताओं को प्रतिष्ठान/प्रोपराईटर के पैन कार्ड की प्रति एवं पिछले तीन वर्षों का आय का रिटर्न की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. वित्तीय निविदा में सामग्रियों की एक दर स्पष्ट कर सहित एवं संस्थानों तक पहुँचाने तक का दर अंकित करना होगा।
5. क्रयसमिति द्वारा स्वीकृत नमूना के अनुरूप सामग्री की आपूर्त्ति अंकित विद्यालयों में आपूर्त्ति आदेश के एक सप्ताह के अन्दर करनी होगी अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर दूसरे नम्बर के निविदादाता को सामग्री की आपूर्त्ति करने का आदेश दिया जायेगा। जिसके विरूद्ध कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।
6. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने से संबंधित शपथ–पत्र संलग्न करना होगा।
7. असफल निविदादाताओं को निविदा निष्पादन के दिन ही बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा।
8. सफल चयनीत निविदादाता की अग्रधन की राशि कार्य के संतोषप्रद निष्पादन के पश्चात ही वापस किया जायेगा।
9. आपूर्त्तिकर्त्ता स्वयं सभी प्रकार के कर देयता के लिए जिम्मेबार होगा।
10. निविदादाता को निविदा खोलने के समय सामग्रियों का नमूना क्रयसमिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
11. यदि आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा सामग्री गुणवत्तापूर्ण संस्थानों में आपूर्त्ति नहीं की गई तथा जाँच में गुणवत्तापूर्ण नहीं पाया गया तो सामग्री उन्हें वापस लेना होगा तथा गुणवत्तापूर्ण सामग्री की आपूर्त्ति के बाद ही भुगतान किया जायेगा।
12. सामग्री की आपूर्त्ति करने के पश्चात् विधिवत प्राप्ति रसीद समर्पित करने के पश्चात् भुगतेय राशि का भुगतान किया जायेगा एवं किसी प्रकार का अग्रिम तथा परिवहन व्यय देयक नहीं होगा।
13. किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, क्रयसमिति का निर्णय अंतिम होगा।
14. किसी भी विवाद की स्थिति में दरभंगा न्यायालय का क्षेत्राधिकार लागू होगा।
15. इस निविदा से संबंधित जानकारी दरभंगा के वेबसाईट www.darbhanga.bih.nic.in एवं जिला कल्याण कार्यालय, दरभंगा के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
दरभंगा।

उप विकास आयुक्त,
दरभंगा।